

जी.सी.मितल और एस.एस.सोढी के समक्ष , जे.जे.

एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोनीपत,-आवेदक। बनाम

आयकर आयुक्त, हरियाणा,

रोहतक,-प्रतिवादी।

1982 का आयकर संदर्भ संख्या 56।

9 मई 1989.

आयकर अधिनियम-1961—धारा 32 (एल)(i) (ii), धारा 37(1) 37(2-बी)—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आपराधिक कार्यवाही का बचाव करने में निर्धारिती द्वारा किया गया खर्च—

ऐसे कानूनी खर्चे स्वीकार्य हैंकटौती।

माना गया कि 23 आईटीआर 427 में सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण 91 आईटीआर 544 से भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस आशय की हैं कि पहले के मामले जहां यह माना गया था कि एक आपराधिक आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया खर्च, आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 10(2)(xv) के अंतर्गत नहीं आता था, यह उनके अपने तथ्यों पर निर्णय थे। उसमें निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, यह माना जाना चाहिए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित आपराधिक मुकदमे के संबंध में किए गए कानूनी खर्चों को अस्वीकार करना न्यायाधिकरण कानून में उचित नहीं था।

(पैरा 8)

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण, दिल्ली बेंच 'ई' नई दिल्ली द्वारा संदर्भ,

आर.ए. में ट्रिब्यूनल के 29 अगस्त, 1970 के आदेश से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर राय के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। क्रमांक 1283 (डेल.)/1980, आईटीए क्रमांक 350 (चंडी./1979), सहायक। वर्ष 1974-75:-

1. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि आयकर अधिनियम की धारा 32 (एल) (ii) के तहत मूल्यहास राम मंदिर के निर्माण के संबंध में स्वीकार्य नहीं था। ?
2. क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि राम मंदिर के रखरखाव के लिए दिए गए 6,000 रुपये का खर्च आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत स्वीकार्य नहीं था। ?
3. क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण को यह मानना उचित था कि 2,514 रुपये, 24,801 रुपये, 2,378 रुपये और 838 रुपये की व्यय मदें धारा 37(2बी) के प्रावधानों से प्रभावित थीं।
)आयकर अधिनियम का ?

4. क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित आपराधिक मुकदमे के संबंध में किए गए 7,243 रुपये के कानूनी खर्च को अस्वीकार करना न्यायाधिकरण के लिए उचित था। ?

आवेदक के लिए दिल्ली के वकील डी.के. मोंगा और वकील राजीव भल्ला।

प्रतिवादी की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अजय मित्तल, अधिवक्ता।

निर्णय

एस.एस. सोढ़ी, जे.

- (1) यहां संदर्भ निम्नलिखित प्रश्नों से संबंधित है: -
- (2) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण यह मानने में सही था कि आयकर अधिनियम की धारा 32 (एल) (ii) के तहत मूल्यहास राम मंदिर के निर्माण के संबंध में स्वीकार्य नहीं था। ?
- (3) क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल यह मानने में सही था कि राम मंदिर के रखरखाव के लिए दिए गए 6,000 रुपये का खर्च आयकर अधिनियम की धारा 37(1) के तहत स्वीकार्य नहीं था। ?
- (4) क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण को यह मानना उचित था कि 2,514 रुपये, 24,801 रुपये, 2,378 रुपये और 838 रुपये की व्यय मदें धारा 37(2बी) के प्रावधानों से प्रभावित थीं।)आयकर अधिनियम का ?
- (5) क्या तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश से संबंधित आपराधिक मुकदमे के संबंध में किए गए 7,243 रुपये के कानूनी खर्च को अस्वीकार करना न्यायाधिकरण के लिए उचित था ?

(2) पहले दो प्रश्नों का उत्तर करदाता के पक्ष में नकारात्मक होना चाहिए और एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त पटियाला 1 में इस न्यायालय के पहले के फैसले को ध्यान में रखते हुए राजस्व के खिलाफ होना चाहिए, जो पिछले वर्षों के समान निर्धारिती से संबंधित है।

(3) प्रश्न संख्या (3) के संबंध में, जो मनोरंजन पर किए गए व्यय से संबंधित है, यह मामला आयकर आयुक्त, अमृतसर-द्वितीय बनाम खेम चंद बहादुर चंद (2) में हमारी पूर्ण पीठ के निर्णय द्वारा कवर किया गया है।), जहां यह माना गया कि व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए पूरी तरह या विशेष रूप से किया गया सभी आतिथ्य, चाहे भव्य हो या फ़र्गल, मनोरंजन व्यय की प्रकृति में वाक्यांश के दायरे में आता है और परिणामस्वरूप यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (2-ए) के खंड (i) से (iv) में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के विरुद्ध सकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

(4) अब अंतिम प्रश्न की ओर मुड़ते हैं, अर्थात्; प्रश्न संख्या 4, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत निर्धारिती के खिलाफ आपराधिक मुकदमे के संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए कानूनी खर्चों से संबंधित है। इस मामले से निपटने के लिए, आयकर आयुक्त में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करना उचित होगा। आंध्र प्रदेश बनाम धनराजगिरजी राजा नरसिंगिरजी (3), जहां यह देखा गया, "हमारी राय में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यवाही दीवानी है या आपराधिक। अदालत को बस यह देखना है कि क्या निर्धारिती द्वारा एक व्यापारी के रूप में अपने चरित्र में कानूनी खर्च किए गए थे, दूसरे शब्दों में, क्या लेनदेन जिसके संबंध में कार्यवाही की गई है और निर्धारिती के व्यवसाय के लिए आकस्मिक था। इसके अलावा, हमें यह देखना होगा कि क्या विचाराधीन व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य से किया गया था।

(5) अगला अगला नोट जे.एन.एस एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, नई दिल्ली (4) के हमारे न्यायालय का निर्णय है, जहां यह माना गया था, कि 'एक अपराधी के खिलाफ एक कर्मचारी का बचाव करने में किया गया खर्च निर्धारिती के व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए लेन-देन के संबंध में अभियोजन को अनुमेय कटौती के रूप में अनुमति दी जा सकती है। ऐसा व्यय, 'ऐसा कहा गया था,' व्यवसाय के अच्छे नाम की रक्षा के लिए किया जाएगा, व्यवसाय के सामान्य क्रम में हुए किसी कार्य के संबंध में अभियोजन उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार व्यय पूरी तरह से और विशेष रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिए होगा।

(6) निर्धारिती के पक्ष में अन्य न्यायिक मिसालें; रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, बिहार और उड़ीसा (5), लक्ष्मीजी शुगर मिल्स कंपनी (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली (6), और आयकर आयुक्त बनाम अहमदाबाद नियंत्रित आयरन और स्टील रजि. स्टॉक-होल्डर्स एसोसिएशन प्रा. लिमिटेड (7)।

(7) दूसरी ओर, राजस्व की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक भान ने आयकर आयुक्त पश्चिम बंगाल बनाम एच. हिरजी (8) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने की मांग की। यह जमाखोरी और मुनाफाखोरी अध्यादेश, 1943 की धारा 13 के तहत धारा 6 के प्रावधानों के उल्लंघन में उचित मूल्य से अधिक कीमत पर सामान बेचने के आरोप में निर्धारिती के खिलाफ मुकदमा चलाने से संबंधित मामला था। अभियोजन बरी होने के साथ समाप्त हुआ। यह माना गया कि, मामले की परिस्थितियों में, आपराधिक कार्यवाही का बचाव करने में खर्च की गई राशि व्यवसाय के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से और विशेष रूप से खर्च किया गया व्यय नहीं था और इसलिए, यह धारा 10 के तहत स्वीकार्य कटौती नहीं थी (2)(xv) आयकर अधिनियम 1922।

(8) यह देखा जाएगा कि उनके सुप्रीम कोर्ट एच. हिरजी के मामले (सुप्रा) का दृष्टिकोण धनराजगिरजी राजा नरसिंगिरजी के मामले (सुप्रा) से भिन्न प्रतीत होता है, लेकिन, यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि टिप्पणियाँ हैं बाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का निर्णय लिया कि पहले के मामले जहां यह माना गया था कि किसी आपराधिक आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए निर्धारिती द्वारा किया गया खर्च, धारा 10 (2) (xv) के अंतर्गत नहीं आता है। आयकर अधिनियम, 1922, उनके अपने तथ्यों पर निर्णय थे। धनराजगिरजी राजा नरसिंगिरजी का मामला (सुप्रा) इस प्रकार दायर किया गया है। उसमें निर्धारित परीक्षण को लागू करते हुए, प्रश्न संख्या (4) का उत्तर स्पष्ट रूप से निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध नकारात्मक में दिया जाना है।

(9) इस संदर्भ में तदनुसार 3 का निपटारा किया गया है। 3 वहां, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Prerna Arya

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

Chandigarh